न्यायालय–सत्र न्यायाधीश, लखीमपुर खीरी।

पीठासीन अधिकारी–शिव कुमार सिंह (एच0जे0एस0)

I.DNo-UP 5743

जमानत प्रार्थना पत्र संख्या–769 / 2026

कम्प्यूटर पंजीकरण संख्या–1799 / 2026

CNR No. UPLP 0100 4105-2026

रंजीत कुमार पुत्र रामकुमार निवासी ग्राम चंदपुरवा मजरा कल्लिया रामपुर, थाना–मितौली, जिला लखीमपुर–खीरी।

बनाम

उ0प्र0 राज्य

मु0अपराध संख्या–0203 / 2025
धारा–115(2), 85, 80(2) बी0एन0एस0 एवं धारा 3 / 4 डी0पी0 एक्ट,
थाना–मितौली, जिला लखीमपुर खीरी।

03.06.2026

1– प्रस्तुत जमानत प्रार्थना–पत्र, प्रार्थी / अभियुक्त रंजीत कुमार की ओर से मुकदमा अपराध सं0–203 / 2025, धारा–115(2), 85, 80(2) बी0एन0एस0 एवं धारा 3 / 4 डी0पी0 एक्ट, थाना–मितौली, जिला लखीमपुर खीरी के सम्बन्ध में प्रस्तुत किया गया है।

2– जमानत प्रार्थना पत्र में प्रार्थी / अभियुक्त द्वारा यह कथन किया गया है कि प्रार्थी / अभियुक्त का यह प्रथम जमानत प्रार्थना–पत्र है। इसके पूर्व सेशन न्यायालय या माननीय उच्च न्यायालय में न तो कोई जमानत प्रार्थना पत्र दिया है और न ही सेशन न्यायालय या माननीय उच्च न्यायालय द्वारा निरस्त किया गया है।

3– संक्षिप्त अभियोजन कथनानुसार वादी मुकदमा रामकिशोर द्वारा प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा–173(4) बी0एन0एस0एस0, संबंधित न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करके, प्रथम सूचना रिपोर्ट इस आशय की पंजीकृत करायी गयी कि उसने अपनी पुत्री मनोरमा की शादी दिनॉक–10.12.2020, को रंजीत कुमार के साथ की थी। शादी के कुछ समय बाद से ही उसकी पुत्री का पति रंजीत कुमार, ससुर रामकुमार, सास बिटौला व देवर अखिलेश अतिरिक्त दहेज में मु0–1,00,000 / –रू0 की मांग करने लगे, मांग पूरी न होने पर उसकी पुत्री को मारपीट कर प्रताड़ित करने लगे। उसकी पुत्री ने अपने जीवित रहते दहेज उत्पीड़न व घरेलू हिंसा के वाद न्यायालय में विपक्षीगण के विरूद्ध दायर कर रखे थे। वादी व विपक्षी के मध्य पुत्री के भविष्य को देखते

हुये आपसी सुलह दिनॉक–11.06.2024 को हो गयी। उसकी पुत्री सुलह के उपरान्त अपने पति के साथ विदा होकर ससुराल चली गयी, किन्तु विपक्षीगण द्वारा उसकी पुत्री को विदा कराकर ले जाने के बाद उस पर लगातार मुकदमे वापस लेने का दबाव बनाते रहे किन्तु उसकी पुत्री ने मुकदमा कुछ समय बाद वापस करने का वचन दिया। इस पर नाराज होकर वादी की पुत्री के पति, सास, ससुर व देवर ने मिलकर दिनांक–13.05.2024 को अतिरिक्त दहेज न मिलने व मुकदमे वापस न करने के कारण मारपीट कर जहर देकर उसकी पुत्री की हत्या कर दी। वादी को किसी तरह सूचना मिली कि उसकी पुत्री मनोरमा की मृत्यु हो गयी है। वादी सपरिवार जब दिनॉक–13.08.2024 को रात्रि में ही अपनी पुत्री की ससुराल गया तो देखा कि उसकी पुत्री के मुॅह से झाग निकल रहा था तथा कान से खून बह रहा था तथा हाथ में चोट का निशान भी था। उन लोगों को देखकर विपक्षीगण घर से भाग गये। वादी का नाती आरव उम्र 15 माह वहीं रो रहा था। वादी को पूर्ण विश्वास है कि उक्त विपक्षीगण ने अतिरिक्त दहेज न मिलने व मुकदमें वापस न करने को लेकर उसकी पुत्री की हत्या कर दी है। उसकी पुत्री मनोरमा का पोस्टमार्टम दिनॉक–14.08.2024 को लखीमपुर में हुआ, थाने पर कई बार प्रार्थना–पत्र दिया किन्तु कोई कार्यवाही नहीं हुयी। वादी के प्रार्थना–पत्र पर संबंधित न्यायालय द्वारा पारित आदेश के अनुपालन में सम्बन्धित थाने पर प्रार्थी/अभियुक्त व अन्य सह अभियुक्तगण के विरूद्ध उक्त मुकदमा पंजीकृत किया गया।

4– प्रार्थी/अभियुक्त की ओर से जमानत प्रार्थना पत्र में मूल आधार यह लिये गये हैं कि वादी मुकदमा द्वारा दिनॉक–13.05.2025 को अन्तर्गत धारा–173(4) बी0एन0एस0एस0, में यह स्वीकार किया गया है कि उसकी पुत्री मनोरमा के शव को पंजाब से अपने घर ग्राम चंदपुरवा लाया गया है, जिससे स्पष्ट है कि वादी मुकदमा ने घटना पंजाब में होना बताया है। वादी मुकदमा एवं मृतका मनोरमा देवी के द्वारा अतिरिक्त दहेज के लिए प्रताड़ित किये जाने के आरोप प्रार्थी/अभियुक्त के विरूद्ध लगाया था, जो न्यायालय अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट मोहम्मदी, खीरी में विचाराधीन था, जिसका परिवाद सं0–3880/2023, धारा–498ए, 506 भा0द0सं0 व 3/4 डी0पी0 एक्ट, थाना मोहम्मदी, जिला खीरी, मनोरमा देवी बनाम रंजीत आदि है, में रामकुमार को दहेज मांगने के आरोप में उन्मोचित किया जा चुका है। प्रार्थी/अभियुक्त द्वारा किसी प्रकार का दहेज कभी नहीं मांगा गया। विधि

विज्ञान प्रयोगशाला उ0प्र0 लखनऊ से विसरा आख्या में जो जहर पाया गया है, उससे प्रार्थी/अभियुक्त का कोई वास्ता व सरोकार नहीं है। प्रार्थी/अभियुक्त का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। प्रार्थी/अभियुक्त को यदि जमानत पर रिहा किया जाता है तो वह जमानत का दुरूपयोग नहीं करेगा एवं दौरान मुकदमा वाद में पूर्ण सहयोग प्रदान करेगा। उक्त आधारों पर जमानत पर रिहा किए जाने की याचना की गयी।

5— विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता (दाण्डिक) द्वारा तर्क प्रस्तुत किया गया कि प्रार्थी/अभियुक्त द्वारा सह अभियुक्तगण के साथ मिलकर मृतका से अतिरिक्त दहेज में एक लाख रूपये की मांग की गयी और मांग पूरी न होने पर शारीरिक एवं मानसिक रूप से प्रताड़ित किया गया तथा विवाह के सात वर्ष के अन्दर ही उसकी दहेज मृत्यु कारित की गयी है। मृतका के सास व ससुर की जमानत निरस्त की जा चुकी है। प्रार्थी/अभियुक्त मृतका का पति है। अपराध गंभीर प्रकृति का है। जमानत प्रार्थना पत्र निरस्त किये जाने योग्य है।

6— जमानत प्रार्थना—पत्र पर प्रार्थी/अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता एवं विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता (दाण्डिक) के तर्को को सुना तथा पत्रावली का अवलोकन किया।

7— पत्रावली के अवलोकन से प्रथमदृष्टया विदित है कि प्रार्थी/अभियुक्त मृतका का पति है और तहरीर प्रथम सूचना रिपोर्ट में नामित हैं। मृतका की मृत्यु उसके विवाह के सात वर्ष के अन्दर ही असामान्य परिस्थितियों में ससुराल में कारित हुयी है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मृतका की मृत्यु का कारण स्पष्ट न होने के मद्देनजर मृतका का विसरा सुरक्षित रखते हुये उसे परीक्षण हेतु विधि विज्ञान प्रयोगशाला प्रेषित किया गया था। विधि विज्ञान प्रयोगशाला की रिपोर्ट में मृतका के विसरा के भागों में अल्यूमिनियम फास्फाइड विष पाया जाना अभिलिखित है। वादी ने अपने बयान अन्तर्गत धारा—180 बी0एन0एस0एस0, में प्रार्थी/अभियुक्त व अन्य सह अभियुक्त द्वारा मृतका से अतिरिक्त दहेज में एक लाख रूपया नगद की मांग किये जाने, मांग पूरी न होने के कारण मृतका को आये दिन मारने—पीटने, शारीरिक एवं मानसिक रूप से प्रताड़ित किये जाने तथा मृतका को जहर देकर उसकी दहेज मृत्यु कारित किये जाने का कथन किया है। प्रश्नगत मामले में बाद विवेचना प्रार्थी/अभियुक्त एवं अन्य सह अभियुक्त के विरूद्ध पर्याप्त साक्ष्य पाते हुये आरोप पत्र न्यायालय में प्रेषित किया जा चुका है। सह अभियुक्तगण

रामकुमार व श्रीमती बिटौली, जो कि मृतका के क्रमशः ससुर व सास हैं, की जमानत पूर्व में निरस्त की जा चुकी है। पत्रावली पर प्रार्थी/अभियुक्त की संलिप्तता हेतु पर्याप्त साक्ष्य उपलब्ध है। अपराध गम्भीर प्रकृति का है।

8– अतः मामले के तथ्य, परिस्थितियों एवं अपराध की प्रकृति को दृष्टिगत रखते हुए इस स्तर पर, प्रार्थी/अभियुक्त को जमानत दिये जाने का पर्याप्त आधार नहीं है और प्रार्थी/अभियुक्त का जमानत प्रार्थना–पत्र निरस्त होने योग्य है।

आदेश

प्रार्थी/अभियुक्त रंजीत कुमार द्वारा प्रस्तुत जमानत प्रार्थना–पत्र निरस्त किया जाता है। जमानत आदेश की प्रति प्रार्थी/अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता को निःशुल्क उपलब्ध करायी जाए।

(शिव कुमार सिंह)
सत्र न्यायाधीश,
लखीमपुर खीरी।
I.DNo-UP 5743

दिनॉक–03.06.2026

Digitally signed by SHIVA KUMAR SINGH
Date: 2026.06.06 19:07:12 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court